

प्ररूप संख्या 135

[नियम 216(1)(ख) का संदर्भ लें]

अधिनियम की धारा 397 के अधीन कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या [TAN] के आवंटन हेतु आवेदन पत्र

[सरकारी संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए]

भाग I: आवेदक का व्यक्तिगत ब्यौरे			
कॉलम 'क' से 'छ' में से केवल एक का चयन करें, जो भी लागू हो।			
(क)	व्यक्ति		
1	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
(ख)	व्यक्तिगत व्यवसाय की शाखा (एकल स्वामित्व वाली कंपनी)		
1	व्यक्ति का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2	शाखा का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
3	शाखा का पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
(ग)	एलएलपी / फर्म / व्यक्तियों का संघ / ट्रस्ट / व्यक्तियों का निकाय / कृत्रिम न्यायिक इकाई / हिंदू अविभाजित परिवार		
1	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2	पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो	(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	
3	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरे	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
		पद का नाम	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
4	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	

(घ)	एलएलपी/फर्म/व्यक्तियों के संगठन /न्यास /व्यक्तियों के निकाय/कृत्रिम न्यायिक इकाई/हिंदू अविभाजित परिवार की शाखा		
1	एलएलपी/फर्म/व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के संघ (न्यास)/व्यक्तियों का निकाय/कृत्रिम न्यायिक इकाई का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2	रजिस्ट्रेशन संख्या, यदि कोई हो	(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)	
3	शाखा का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
4	शाखा का पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
5	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरे	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
		पद का नाम	(टिप्पण 4 का संदर्भ लें)
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
(ङ)	कंपनी (संबंधित बॉक्स पर निशान लगाएं) (टिप्पण 7 का संदर्भ लें)		
		केंद्रीय सरकार की कंपनी/ केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी ☐ राज्य सरकार की कंपनी/ राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी ☐ सीमित लोक समवाय ☐ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ☐ एक व्यक्ति कंपनी ☐ धारा 8 कंपनी ☐ अन्य कंपनी	
1	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN)		
3	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरे	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
		पद का नाम	
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
4	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	

(च)	किसी कंपनी की शाखा/विभाग(संबंधित बॉक्स पर निशान लगाएं)	☐ केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित कंपनी/केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम	
		☐ राज्य सरकार द्वारा स्थापित कंपनी/राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित निगम	
		☐ सीमित लोक समवाय	
		☐ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	
		☐ एक व्यक्ति कंपनी	
		☐ धारा 8 कंपनी	
		☐ अन्य कंपनी	
1	कंपनी का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN)		
3	शाखा/प्रभाग का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
4	शाखा/मंडल का पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	
5	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का ब्यौरे	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
		पद का नाम	
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
(छ)	कानूनी/स्वायत्त निकाय(सुसंगत बॉक्स पर निशान लगाएं)	☐ वैधानिक निकाय	
		☐ स्वायत्त निकाय	
1	कार्यालय का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
2	संगठन का नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)	
3	कर कटौती/संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के ब्यौरे	नाम	(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)
		पद का नाम	
		स्थायी खाता संख्या	
		संपर्क संख्या	
4.	पता	(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)	

भाग 2: आवेदक के अन्य ब्यौरे			
1	जन्म तारीख / कंपनी की स्थापना तिथि, जो भी लागू हो	(टिप्पण 5 का संदर्भ लें)	
2	स्थायी खाता संख्या	(टिप्पण 6 का ☐ संदर्भ लें)	
3	राष्ट्रीयता (सुसंगत बॉक्स पर निशान लगाएं), यदि लागू हो	☐	भारतीय विदेशी
4	ईमेल आईडी		
5	संपर्क संख्या	देश कोड	संख्या
6	टीडीएस निर्धारण अधिकारी संहिता		
7	अन्य ब्यौरे अलग से संलग्न किए जाने हैं।	(टिप्पण 8 का संदर्भ लें)	

घोषणा

क. मैंस्थायी खाता संख्या आयकर अधिनियम, 2025 के अध्याय 19-ख के अनुसार कर की कटौती/संग्रह करने के लिए उत्तरदायी हूँ।

ख. मैंने संलग्न कर दिया है

पहचान के प्रमाण के रूप में

पते के प्रमाण के रूप में और

जन्म तारीख /निगमन तिथि के प्रमाण के रूप में

ग. मैं (स्वयं/.....) की हैसियत से यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

घ. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक के पास टीएएन नहीं है। और यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो वह कानूनी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम:

टिप्पण:

1. पूरा नाम लिखा जाएगा।
2. पते में सम्मिलित किया जाएगा: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/भवन, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।
3. एलएलपी के लिए पंजीकरण संख्या अनिवार्य है।
4. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के मामले में, पदनाम 'कर्ता' होगा।
5. जन्म तारीख /निगमन तारीख आवेदक की होगी। शाखा/प्रभाग के मामले में, निगमन तारीख शाखा/प्रभाग की होगी।
6. स्थायी खाता संख्या आवेदक की होगी। शाखा/विभाग के मामले में, स्थायी खाता संख्या मूल इकाई की होगी।
7. यह कॉलम केवल तभी लागू होता है जब पूरी कंपनी के लिए एक ही टैन के लिए आवेदन किया गया हो। यदि विभिन्न विभागों/शाखाओं के लिए अलग-अलग टैन के लिए आवेदन किया गया है, तो कृपया (च) में ब्यौरे भरें।
8. नियम 216 के तहत पहचान, पता और जन्म तारीख /निगमन तारीख के प्रमाण के रूप में निर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न करें।
9. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी होगी।
10. * जो भी अनुपयुक्त हो उसका लोप करें।